

समक्ष एसपी गोयल और जीसी मितल, माननीय न्यायमूर्ति

थॉमसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड -आवेदक

बनाम

हरियाणा राज्य -प्रतिवादी

1983 का सामान्य बिक्री कर संदर्भ संख्या 22

14 मार्च 1986

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम (1948) - अनुसूची बी, मद संख्या 22 - निर्धारिती मुद्रण पुस्तिकाएं और वार्षिक रिपोर्ट - बिक्री कर लगाने से छूट का इस आधार पर दावा किया गया कि ऐसे सामान 'पुस्तकें' शब्द के अंतर्गत आते हैं - उपर्युक्त मुद्रित सामग्री - क्या 'किताबें' कहा जा सकता है - उपरोक्त प्रविष्टि में 'किताबें' शब्द - क्या 'पाठ्य पुस्तकें' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए - दावा की गई छूट का लाभ - क्या निर्धारिती के लिए उपलब्ध है।

अभिनिर्णित कि 'किताबें' शब्द का अर्थ इसके लोकप्रिय अर्थ में किया जाना चाहिए और इसका स्पष्ट सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए जिसमें इसे सामान्य बोलचाल में समझा जाता है। किताबें सीखने के लिए हैं और सीखने के हर क्षेत्र में विशेषज्ञता के इस युग में, हर मामले के लिए किताबें प्रकाशित की जा रही हैं, जिनमें से कुछ समाज के एक वर्ग के लिए रुचिकर हो सकती हैं और कुछ अन्य व्यक्तियों के समूह के लिए रुचिकर हो सकती हैं। पुस्तकों से हमें ज्ञान, जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त होता है, यदि केवल पाठ्य पुस्तकें, जिन्हें स्कूलों या कॉलेजों में प्रत्येक छात्र द्वारा पढ़ा जाना था, को 'किताबों' की परिभाषा के अंतर्गत माना जाता, तो आइटम होता 'पाठ्य पुस्तकें' न कि 'किताबें'। निर्धारिती द्वारा मुद्रित की जाने वाली वस्तुएं 'किताबें' शब्द के अर्थ में आती हैं क्योंकि वे सीखने, ज्ञान प्राप्त करने या किसी निश्चित मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए किताबें हैं जिसमें पाठक की रुचि हो सकती है। इस प्रकार यह माना जाना चाहिए कि निर्धारिती द्वारा बिक्री के लिए मुद्रित की गई पुस्तिकाएं, ब्रोशर और वार्षिक रिपोर्ट पूरी तरह से 'किताबें' शब्द के अंतर्गत आती हैं और पंजाब की अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि संख्या 22 के संदर्भ में छूट वाली वस्तुएं हैं। सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1949 और बिक्री कर लगाने से छूट निर्धारिती को उपलब्ध है।

(पैरा 11, 16 और 17)

स्वराज प्रिंटर्स बनाम केरल राज्य 31 एसटीसी (1973)559

(आंशिक रूप से असहमत)

बिक्री कर न्यायाधिकरण, हरियाणा के आदेश दिनांक 19 अप्रैल, 1983 द्वारा किए गए सामान्य बिक्री कर संदर्भ में इस माननीय उच्च न्यायालय की राय के लिए निम्नलिखित प्रश्न इस प्रकार हैं :

-

“क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा मुद्रित और बेची गई यूनेस्को क्रियर, फ़ोल्डर्स, पुस्तिकाएं, ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट पंजाब-जनरल सेल्स टैक्स एक्ट की अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि संख्या 22 में 'किताबें' शब्द जो हरियाणा जनरल सेल्स टैक्स एक्ट की अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि संख्या 8 से मेल खाता है, के अंतर्गत नहीं आते हैं। ”

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अधिवक्ता आरसी सेतिया और अधिवक्ता पिनाकी मिश्रा उपस्थित थे।

प्रतिवादी की ओर से गोपी चंद, वकील ।

निर्णय

गोकल चंद मितल , न्यायमूर्ति

1. मैसर्स थॉमसन प्रेस (इंडिया), लिमिटेड, 1967 से फरीदाबाद में अपने प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रण का व्यवसाय करता है। यह केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम और हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम दोनों के तहत पंजीकृत है। यह सरकारी विभागों, वैधानिक निगमों और व्यावसायिक संगठनों से प्राप्त मुद्रण कार्यों का कार्य करता है। यह आवश्यकता के अनुसार सभी प्रकार की पुस्तकों को विभिन्न साइजों, आकृतियों और डिजाइनों में छापता रहा है। निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद के समक्ष कंपनी का रुख यह था कि पुस्तिकाएं, ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, फ़ोल्डर्स और यूनेस्को कोरियर जैसी वस्तुओं की बिक्री अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 22 के अंतर्गत आती है। पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1948 (संक्षेप में '1948 एक्ट') की अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि 22 'किताबों' से संबंधित है और इस तरह उन्हें कर से छूट दी गई थी। आकलन वर्ष 1970-71 से 1972-73 के संबंध में भी यही दलील थी। 1973-74 से 1975-76 के वर्षों के लिए भी यही तर्क उठाया गया था क्योंकि तब तक हरियाणा बिक्री कर अधिनियम, 1973 (संक्षेप में 'हरियाणा अधिनियम') लागू हो चुका था और उस अधिनियम की अनुसूची 'की प्रविष्टि संख्या 8 के तहत छूट की मांग की गई थी।

2. निर्धारण वर्ष 1969-70 का मामला सबसे पहले निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष आया और उन्होंने करदाता के तर्क को खारिज कर दिया और 30 मार्च, 1976 के आदेश के तहत सभी वस्तुओं को कर के अधीन कर दिया। वर्ष 1969-70 के लिए मामला अपील में लिया गया था। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष, निर्धारिती ने **बिक्री कर आयुक्त, यूपी लखनऊ बनाम इंडो आर्ट्स, 1969 (24) एसटीसी 342 में** इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले और **गोविंदस्वामी बाइंडिंग वर्क्स और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 1972 (29) एसटीसी 219** में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। इस प्रस्ताव के लिए कि पुस्तिकाएं, पत्रिकाएं और फ़ोल्डर्स और खाता पुस्तकों सहित सभी प्रकार की किताबें 'पुस्तकें' शब्द के अंतर्गत आती हैं। अपीलीय प्राधिकारी ने तर्क को स्वीकार कर लिया और 22 दिसंबर, 1976 के आदेश द्वारा माना कि विचाराधीन वस्तुएं पंजाब अधिनियम, 1948 की अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि 22 में 'किताबें' शब्द के अंतर्गत आती हैं और कर से मुक्त हैं। अगले छह वर्षों के लिए, मामला अलग-अलग तारीखों पर मूल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष आया और अलग-अलग तारीखों के अलग-अलग आदेशों द्वारा, छह वर्षों के लिए मामलों का निर्णय अपीलीय प्राधिकारी के पूर्वोक्त निर्णय के आधार पर किया गया और यह भिनिर्णित किया गया कि निर्धारिती को कर से छूट थी। इसके परिणामस्वरूप निर्धारिती अधिक भुगतान किए गए कर की वापसी का हकदार बन गया।

3. संयुक्त उत्पाद एवं कराधान आयुक्त, हरियाणा ने वर्ष 1969-70 के लिए अपीलीय प्राधिकारी और उसके बाद के छह वर्षों के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए *मामले को उठाया*। निर्धारिती ने आदेशों को संशोधित करने के लिए संयुक्त उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी और अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ मूल्यांकन प्राधिकरण के निर्णय का भी समर्थन किया, जो अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय पर आधारित थे। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने निर्धारिती के तर्क को खारिज कर दिया और गुण-दोष के आधार पर माना कि फ़ोल्डर, ब्रोचर, वार्षिक रिपोर्ट, स्मारिका और पुस्तिकाओं की बिक्री पंजाब और हरियाणा बिक्री कर अधिनियम के तहत कर लगाने से मुक्त नहीं है और कर के लिए उत्तरदायी है। तदनुसार, सामान्य आदेश दिनांक 11-5-1981 द्वारा पहले मामले में अपीलीय प्राधिकारी के आदेश और बाद के छह मामलों में मूल्यांकन प्राधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को निर्धारण प्राधिकारी, फरीदाबाद को भेज दिया गया। अपने आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में कर देनदारी की गणना करने और देय कर की वसूली करने का निर्देश दिया। उपरोक्त आदेश के खिलाफ, निर्धारिती ने बिक्री कर न्यायाधिकरण, हरियाणा के समक्ष सात अलग-अलग अपीलें दायर कीं। ट्रिब्यूनल ने मामले पर विचार करने के बाद, 20 अगस्त, 1982 के सामान्य आदेश द्वारा सभी अपीलों को खारिज कर दिया। निर्धारिती के आवेदनों पर, ट्रिब्यूनल ने सभी 7 मूल्यांकन वर्षों के लिए इस न्यायालय की राय के लिए निम्नलिखित सामान्य प्रश्न को संदर्भित किया है और इस न्यायालय में 1983 की जीएसटीआर संख्या 16 से 22 के रूप में संदर्भ पंजीकृत किए गए हैं:

“क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा मुद्रित और बेची गई यूनेस्को कूरियर, फ़ोल्डर्स, पुस्तिकाएं, ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट पंजाब-जनरल सेल्स टैक्स एक्ट की अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि संख्या 22 में 'किताबें' शब्द जो हरियाणा जनरल सेल्स टैक्स एक्ट की अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि संख्या 8 से मेल खाता है, के अंतर्गत नहीं आते हैं। ”

जब मामला विचाराधीन था, तब 1976-77 के बाद के वर्षों के मामले समय-समय पर विचार के लिए आते रहे। उन बाद के वर्षों के लिए, निर्धारिती ने कठिन परीक्षा से गुजरने के बजाय, मूल्यांकन प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे इस न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 1983 का 498, 3483 और 3484 दायर किया। चूंकि सामान्य प्रश्न उठते हैं, इसलिए सात संदर्भों और तीन रिट याचिकाओं का निपटारा इस सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्षों के वकील भी सहमत हैं।

4. इससे पहले कि हम मामले पर चर्चा के लिए आगे बढ़ें, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि निर्धारिती की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा है कि वह फ़ोल्डरों के संबंध में बिक्री कर न्यायाधिकरण के फैसले पर विवाद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूनेस्को कूरियर अपनी स्थापना के पहले वर्ष में मुद्रित किया गया था, और विवाद में मूल्यांकन वर्षों के दौरान मुद्रित नहीं किया गया था और न ही निकट भविष्य में उन्हें मुद्रित करने का इरादा था, और इसलिए, बिक्री का निर्णय यूनेस्को कूरियर को लेकर टैक्स ट्रिब्यूनल को भी चुनौती नहीं दी जा रही है। उपरोक्त के मददेनजर, यूनेस्को कूरियर और फ़ोल्डर्स के संबंध में संदर्भित प्रश्न का निर्णय मूल्यांकनकर्ता के खिलाफ तय किया जा रहा है।

5. पुस्तिकाओं, ब्रोचरों और वार्षिक रिपोर्टों जैसे शेष मुद्रण मामलों की ओर ध्यान दिलाते हुए, निर्धारिती के वकील ने इंडो आर्ट के मामले (सुप्रा) और गोविंदस्वामी बाइंडिंग वर्क्स के मामले (सुप्रा) का उल्लेख किया है। *औद्योगिक और वाणिज्यिक सेवा इलाहाबाद बनाम बिक्री कर आयुक्त, यूपी, लखनऊ, 1963 (14) एसटीसी 299* का भी संदर्भ दिया गया है। दूसरी ओर राज्य के वकील ने *स्वराज प्रिंटर्स बनाम केरल राज्य, (31) एसटीसी 559, 1973* पर भरोसा किया है। उन्होंने *रामावतार बुधईप्रसाद बनाम सहायक बिक्री कर अधिकारी, अकोला, (1961) 12 एसटीसी 286*, और *बिक्री कर उपायुक्त (कानून) राजस्व बोर्ड (कर) एर्नाकुलम बनाम जीएस पाई एंड कंपनी, (1980) 45 एसटीसी 58* पर भी भरोसा रखा, इस प्रस्ताव के लिए कि 'पुस्तक' शब्द की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। बार में उद्धृत मामलों की सराहना करने के लिए, उस प्रासंगिक कानून की तुलना की जानी चाहिए जिसके तहत मामले विचार के लिए आए थे।

सामान्य बिक्री कर अधिनियम,

<i>हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973</i>	
अनुसूची 'बी' :-	जिसमें अधिनियम की धारा 6 के तहत कर लगाने से छूट वाली वस्तुएं शामिल हैं।
आइटम नंबर 22	पुस्तकें
23.	पत्रिकाएं
24.	व्यायाम और ड्राइंग पुस्तकें
24-ए	पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के प्रवेश फॉर्म और प्रॉस्पेक्टस।
25.	स्लेट और स्लेट पेंसिल लिखना।
26.	चॉक और क्रेयॉन लिखना।
27.	आमतौर पर स्कूलों में उपयोग किए जाने वाले प्रकार के फुट नियम।
अनुसूची 'बी' :-	अधिनियम की धारा 6 के तहत कर लगाने से छूट वाली वस्तुएं शामिल हैं।
आइटम नंबर 8	पुस्तकें।
9.	पत्रिकाएँ।
10.	व्यायाम और ड्राइंग पुस्तकें.
11।	स्लेट और स्लेट पेंसिल से लिखना।
12.	चॉक और क्रेयॉन लिखना

12-एक	ड्राइंग के लिए रंगीन पेंसिलों का उपयोग किया जाता है, लेकिन साधारण ग्रेफाइट पेंसिलों का नहीं, जिन्हें आम तौर पर लेड पेंसिल के नाम से जाना जाता है।
13.	आमतौर पर स्कूलों में उपयोग किए जाने वाले प्रकार के फुट नियम।

13. आमतौर पर स्कूलों में उपयोग किए जाने वाले प्रकार के फुट नियम।

6. **इंडो आर्ट्स के मामले (सुप्रा)** में, निम्नलिखित छूट वाली वस्तुएं यूपी के तहत विचार के लिए आईं। विक्रय कर अधिनियम :-

"किताबें, पत्रिकाएँ और अभ्यास पुस्तकें।"

यह अभिनिर्णित कि ब्रोचर, पुस्तिकाएं और फ़ोल्डर्स को 'किताबें' शब्द में समझा जाता है।

7. **गोविंदस्वामी बाइंडिंग वर्क के मामले (सुप्रा)** में, आंध्र प्रदेश बिक्री कर अधिनियम के तहत, निम्नलिखित छूट वाली वस्तुएं विचार के लिए उठीं: -

"सभी प्रकार की किताबें और पत्रिकाएँ," और उसमें यह माना गया था कि अभिव्यक्ति 'किताबें' में किसी भी प्रकार की किताबें शामिल होंगी जिनमें अकाउंट बुक, नोट बुक, एक साथ बंधे हुए कागज की ढीली शीट शामिल होंगी और उन्हें साहित्यिक कार्य या किताबें होने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि 'पुस्तक' शब्द को भी सभी प्रकार की पुस्तकों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक माना गया था और 'सभी' शब्द को प्रचुरता से प्रकट और स्पष्ट बनाने के लिए माना गया था कि अधिसूचना पुस्तकों की बिक्री के सभी मामलों को कवर करने के लिए जारी की गई थी और इसका प्रयोग साहित्यिक सामग्री की पुस्तकों या अन्य प्रकार की पठन सामग्री तक ही सीमित नहीं है। चर्चा के दौरान, यह देखा गया कि पूर्व अधिसूचना के तहत 'सभी पुस्तकों और पत्रिकाओं' मद में, बिक्री कर के भुगतान से केवल कुछ प्रकार या श्रेणियों की पुस्तकों को छूट की अनुमति दी गई थी। नई विस्तारित प्रविष्टि के मद्देनजर यह अभिनिर्णित किया गया कि खाता पुस्तकों, नोट बुक आदि को भी छूट दी गई थी।

8. **औद्योगिक और वाणिज्यिक सेवा के मामले (सुप्रा)** में यूपी बिक्री कर के तहत आइटम 'पुस्तक' विचार के लिए आया था, और उस मामले में डायरियों की बिक्री (जिसमें ज्यादातर खाली पन्ने थे, प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर भगवत गीता का एक श्लोक और प्रारंभ में सामान्य जानकारी के कुछ पृष्ठ) निर्धारित द्वारा विचार के लिए आए। यह अभिनिर्णित किया गया कि डायरियाँ 'किताबें' शब्द के अंतर्गत नहीं आतीं। विद्वान न्यायाधीशों का मत था कि 'किताबें' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में नहीं, बल्कि प्रतिबंधित या लोकप्रिय अर्थ में किया जाता है। शब्द एक-दूसरे से अपना रंग लेते हैं और अधिक सामान्य को कम सामान्य के अनुरूप अर्थ द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है।

9. **स्वराज प्रिंटर्स के मामले में (सुप्रा)** में केरल बिक्री कर अधिनियम के तहत निम्नलिखित आइटम विचार के लिए आया : -

"किताबें पढ़ने या संदर्भ के लिए होती हैं।"

वहां, निर्धारित चाय की धूल जैसे उत्पादों की नीलामी द्वारा बिक्री की सूची, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स की वार्षिक रिपोर्ट और खातों के वार्षिक विवरण और "टी रिव्यू" नामक प्रकाशन की बिक्री पर कर से छूट चाहता था। विद्वान न्यायाधीशों की राय थी कि उपरोक्त वस्तुएँ छूट खंड के अंतर्गत नहीं आती हैं। उनका यह भी मानना था कि जो किताबें साहित्यिक प्रकृति की हैं, उन्हें ही छूट दी गई है और 'पढ़ना' शब्द के साथ जुड़ा हुआ 'संदर्भ' शब्द केवल यह संकेत दे सकता है कि संदर्भ के लिए रखी गई किताबें वे किताबें हैं जो जनता के लिए संदर्भ के लिए हैं। शिक्षा, ज्ञान, ज्ञानोदय या मनोरंजन और कैटलॉग या वार्षिक रिपोर्ट या खातों के वार्षिक विवरण या 'टी रिव्यू' जैसे प्रकाशन का उपयोग संपत्ति मालिकों, नीलामीकर्ताओं और कंपनियों के शेयरधारक द्वारा संदर्भ की पुस्तकों के रूप में किया जा सकता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि वे अधिसूचना में होने वाली पढ़ने या संदर्भ के लिए अभिव्यक्ति 'किताबें' के दायरे में नहीं आएंगे। उनका यह भी विचार था कि जहां तक जनता का संबंध है, छूट वाली वस्तु का एक निश्चित अर्थ है और यह जनता के सीखने में सुधार और ज्ञान के प्रसार के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु है।

10. राज्य की ओर से उद्धृत अन्य दो मामले दिशा-निर्देश देते हैं कि किसी शब्द या वस्तु की व्याख्या कैसे की जाए। जिस वस्तु से हमारा संबंध है उसकी व्याख्या करते समय अन्य संदर्भित मामलों के साथ-साथ अन्य दो मामलों में व्याख्या के नियम को ध्यान में रखा जा रहा है।

11. मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद हमारा मानना है कि बुक-लेट्स ब्रोचर और वार्षिक रिपोर्ट जब मुद्रित और बेची जाती हैं तो 'किताबें' शब्द के दायरे में आती हैं। **जीएस पाई के मामले (सुप्रा)** में, 'बुलियन' शब्द विचार के लिए आया था और पीएन भगवती, न्यायमूर्ति, न्यायालय की ओर से बोलते हुए इस प्रकार कहते हैं:-

"शब्द की व्याख्या सामान्य बोलचाल के अनुसार की जानी चाहिए और एक ऐसा अर्थ दिया जाना चाहिए जिसे उस वस्तु से परिचित लोग इसका अर्थ बता सकें।"

यह भी देखा गया कि शब्द को लोकप्रिय अर्थ में समझा जाना चाहिए या उसका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए।

12. **रामावतार में बुधईप्रसाद का मामला (सुप्रा)** जेएल कपूर, न्यायमूर्ति ने संविधान पीठ के लिए बोलते हुए कहा कि 'सब्जियां' शब्द का अर्थ न तो किसी तकनीकी अर्थ में और न ही वानस्पतिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, बल्कि जैसा कि आम बोलचाल में समझा जाता है और इसके लोकप्रिय अर्थ में किया जाना चाहिए जिसका अर्थ है 'वह भावना जिसे लोग उस विषय वस्तु से परिचित कराते हैं जिसके साथ कानून व्यवहार कर रहा है।'

13. उपरोक्त दो निर्णयों में दी गई व्याख्या के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि 'किताबें' शब्द को उसके लोकप्रिय अर्थ में समझा जाना चाहिए और उसे उसका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए जैसा इसे सामान्य बोलचाल में समझा जाता है। किताबें सीखने के लिए हैं और अब हम 20वीं सदी के अंत का मतलब बता रहे हैं और सीखने के हर क्षेत्र में विशेषज्ञता हो गई है और इस विशेषज्ञता और हर मामले के बारे में सूक्ष्म विवरण जानने की रुचि के साथ हर मामले के लिए किताबें प्रकाशित की जा रही हैं, जिनमें से कुछ समाज के एक वर्ग के हित में हो सकता है और दूसरे समूह के व्यक्तियों के हित में हो सकता है इत्यादि। किताबों से हमें ज्ञान, जानकारी और मार्गदर्शन मिलता है। यदि केवल पाठ्य पुस्तकें, जो स्कूलों या कॉलेजों में प्रत्येक छात्र द्वारा पढ़ी जाती थीं, को 'पुस्तकें' की परिभाषा के अंतर्गत माना जाता और तो वस्तु 'पाठ्य पुस्तकें' होती, न कि 'पुस्तकें'।

14. गोविंदास्वामी बाइंडिंग वर्क के मामले (सुप्रा) में सभी प्रकार की पुस्तकों को कहकर पुस्तकों का दायरा बढ़ाया गया था और बढ़ी हुई परिभाषा के कारण, खाता बही, नोट बुक, बंधे हुए कागजों की ढीली शीट यानी साहित्यिक पुस्तकों के अलावा अन्य वस्तु को भी इसके अंतर्गत माना गया था।

15. इंडो आर्ट्स के मामले (सुप्रा) में 'किताबें' शब्द सीधे विचार के लिए आया और यह फैसला सुनाया गया कि इसमें ब्रोचर, बुकलेट और फ़ोल्डर्स शामिल हैं। स्वराज प्रिंटर्स के मामले (सुप्रा) में थोड़ी अलग परिभाषा थी, जो विचार के लिए आया थी। वहाँ, 'पुस्तकें पढ़ने या संदर्भ के लिए' शब्द विचार के लिए आए और विद्वान न्यायाधीशों की राय थी कि केवल साहित्यिक पुस्तकें ही संदर्भ पुस्तकों के अंतर्गत आती हैं, जो जनता के लिए शिक्षा, ज्ञान, ज्ञानोदय या मनोरंजन के लिए हो सकती हैं। इस निष्कर्ष को दर्ज करने के बावजूद, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कैटलॉग, खातों के वार्षिक विवरण या 'टी रिच्यू' जैसे प्रकाशन 'किताबें' या संदर्भ की परिभाषा में नहीं आ सकते क्योंकि वे केवल संपत्ति मालिकों, कंपनियों के नीलामीकर्ता और शेयरधारक द्वारा संदर्भ के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

16. हम इंडो आर्ट्स मामले (सुप्रा) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से इस हद तक सहमत हैं कि जो किताबें जनता के लिए शिक्षा, ज्ञान, ज्ञानोदय या मनोरंजन के लिए पढ़ने और संदर्भ उद्देश्यों के लिए हैं वे 'किताबें' शब्द से आच्छादित हैं। हम विद्वान न्यायाधीशों से भी सहमत हैं, जब उन्होंने देखा कि जहां तक जनता का संबंध है, पुस्तकों का एक निश्चित अर्थ होता है और यह जनता के सीखने में सुधार और ज्ञान के प्रसार के लिए उपयोग की जाने वाली पुस्तकों को लेती है। इस पृष्ठभूमि पर हमारा मानना है कि पुस्तिकाएं, ब्रोचर और वार्षिक रिपोर्ट जब मुद्रित और बेची जाएंगी तो वे 'किताबें' शब्द के अंतर्गत आएंगी। तीन प्रकार की किताबें, जिन्हें करदाता प्रिंट करता है, हमारे सामने रखी गई हैं और हमने पाया है कि वे पूरी तरह से 'किताबें' शब्द के अर्थ में आती हैं क्योंकि वे सीखने और ज्ञान प्राप्त करने या एक निश्चित मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए किताबें हैं। जिसमें एक पाठक की रुचि हो सकती है। जैसा कि हम पहले ही ऊपर देख चुके हैं, विशेषज्ञता के वर्तमान क्षेत्र में, सामान्य जानकारी की कुछ पुस्तकें हर किसी के लिए रुचिकर हो सकती हैं जबकि विशेष श्रेणी की अन्य पुस्तकें उन लोगों के लिए रुचिकर हो सकती हैं जो उस श्रेणी में रुचि

रखते हैं। एक बार जब यह हमारा विचार है, तो हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि हम **स्वराज प्रिंटर्स के मामले (सुप्रा)** में केरल उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर अपनी असहमति दर्ज करते हैं, जब उन्होंने देखा कि वार्षिक रिपोर्ट या खातों या मालिकों, नीलामीकर्ताओं के वार्षिक विवरण पुस्तकों के दायरे में नहीं आएंगे। विशेषज्ञता के वर्तमान समय में पढ़ने की रुचि या ज्ञान प्राप्त करने की रुचि जीवन के विभिन्न चरणों के दौरान अलग-अलग होती है। हमारे विचार में, यह शब्दों में विरोधाभास होगा क्योंकि एक बार जब हम कहते हैं कि शिक्षा, ज्ञान, और मनोरंजन के लिए संदर्भ के लिए किताबें किताबों की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं और फिर भी हम कुछ किताबों को केवल इसलिए बाहर कर देते हैं क्योंकि वे सभी के लिए रुचिकर नहीं हो सकती हैं। निर्धारिती जो किताबें छाप रहा है, वे जनता के हित में हैं, हो सकता है कि वे पूरी जनता के हित में न हों, लेकिन उन लोगों के हित में हों, जिनकी किसी सरकारी विभाग या निगम या दूसरे द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट में रुचि हो। निर्धारिती विभिन्न मंत्रालयों में ज्ञान की वार्षिक रिपोर्ट छापता है। इसने वर्ष 1982 में दिल्ली में आयोजित नौवें एशियाई खेलों के बारे में एक अंतिम रिपोर्ट छपी है। इसने भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आदि की वार्षिक रिपोर्ट भी छपी है। यह हमारे देश और अन्य जगहों पर सभ्यता, महिला दिवस और वन्य जीवन आदि के बारे में पुस्तिकाएँ छापने के अलावा बड़ी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट और बैलेंस शीट भी छापता है।

17. उपरोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि निर्धारिती द्वारा बिक्री के लिए मुद्रित पुस्तिकाएँ, ब्रोचर और वार्षिक रिपोर्ट पंजाब अधिनियम और हरियाणा अधिनियम में निहित छूट वाली वस्तु दोनों में 'पुस्तकें' शब्द के अंतर्गत आती हैं। तदनुसार, उपरोक्त तीन वस्तुओं के संबंध में, प्रश्न का उत्तर निर्धारिती के पक्ष में और विभाग के विरुद्ध दिया जाता है और 1983 के जीएसटीआर नंबर 16 से 22 का निपटारा किया जाता है।

18. 1983 की सिविल रिट याचिका संख्या 498 और 1984 की 3483 और 3484 को इस हद तक अनुमति दी जाती है कि निर्धारिती द्वारा मुद्रित और बेची गई पुस्तिकाओं, ब्रोचरों और वार्षिक रिपोर्टों पर बिक्री कर की वसूली को रद्द कर दिया जाता है। इस आदेश के अनुसरण में निर्धारिती कर की वापसी का हकदार होगा। हालाँकि, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रीतिका शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा